

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठाधीन अधिकारी-

रामरतन सौकरिया

भिसल नम्बर

तारीख दायरा

आर.ए.एस.

99/2022 प्रा.पत्र/2022

22.11.2022

तारीख निर्णय

20.03.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा एफ.बी.ओ. मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राइजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक राज0। निवासी 69 बृजलाल नगर माताजी मन्दिर के पीछे मालपुरा जिला टोंक राज0। पिनकोड-304502। मोबाईल नं0 9828668084।

2-श्री मनफूल राम पुत्र श्री बीरबल राम बिश्नोई प्रोपरायटर मैसर्स विष्णु इण्डस्ट्रीज हनुमान धौरा बायपास रोड काकरा नोखा बीकानेर राज0। निवासी वार्ड नं0 13 काकरा नोखा बीकानेर राज0। पिनकोड-334803।

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

1-पैरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्री मदन लाल शर्मा स्वयं उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 20/3/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.04.2022 को समय सायं 12:48 पी.एम. पर मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राइजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा अपने प्रतिष्ठान मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राइजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य प्रदार्थ गुड़, तेल, घी, शक्कर, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा ने स्वयं को मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राइजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक का मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में तेल, घी, मसाले खाद्य पदार्थ अलग-अलग बण्ड आदि के खाद्य पदार्थ के साथ प्रोपरायटरी फूड केसर बाटी पीयूष ब्राण्ड(Proprietary Food Kesar Bati Peeyush Brand) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना किचन के रूप में हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान की रैक में लगभग 16 मूल पैक पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 1-1 किलोग्राम पैक प्रोपरायटरी फूड केसर बाटी पीयूष ब्राण्ड(Proprietary Food Kesar Bati Peeyush Brand) में से ज्यों का त्यों पैकड अवस्था में 1-1 किलोग्राम पैक के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा प्रोपरायटरी फूड केसर बाटी पीयूष ब्राण्ड(Proprietary Food Kesar Bati Peeyush Brand) 1-1 किलोग्राम के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर चार नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3185 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3185 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राइजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स विष्णु इण्डस्ट्रीज हनुमान धौरा बायपास रोड काकरा नोखा बीकानेर राज0 का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/1247 दिनांक 31.05.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1796/एक्ट/2022/1898 दिनांक 20.05.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया प्रोपरायटरी फूड केसर बाटी पीयूष ब्राण्ड(Proprietary Food Kesar Bati Peeyush Brand) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।



Adl
प्रतिवेक जिला माजस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री मदन लाल शर्मा स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस प्रोपरायटरी फूड केसर बाटी पीयूष ब्राण्ड(Proprietary Food Kesar Bati Peeyush Brand) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया प्रोपरायटरी फूड केसर बाटी पीयूष ब्राण्ड(Proprietary Food Kesar Bati Peeyush Brand) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 5,000/- (अक्षरे पांच हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/3/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(रामरतन साहिरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक